60

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 2828–पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 20–4–2015 पारित द्वारा राजस्व निरीक्षक वृत्त 2, तहसील सांवेर जिला इंदौर प्रकरण कमांक 11/अ–12/2014–15.

1– किशनदास पिता भगवानदास माखीजा
2– श्रीमती कमलाबाई पति किशनदास माखीजा
निवासी 64, त्रिवेणी कालौनी एक्टेंशन, इंदौर .....आवेदकगण

विरूद्ध

1– सुनील पिता किशनचंद सिंधी
निवासी पैलेस कॉलौनी, ओरंज काउंटी
6 बंगलो के पीछे, इन्दौर तथा
सम्राट पोल्टी फार्म, ग्राम भौंरासला
इंदौर–उज्जैन रोड, लवकुश चौराहा इंदौर
2– कन्हैयालाल पिता वैशाखुमल सिंधी
निवासी जयरामपुर कॉलौनी, इंदौर व
सम्राट पोल्टी फार्म, ग्राम भौंरासला
इंदौर–उज्जैन रोड, लवकुश चौराहा इंदौर .....अनावेदकगण

श्री सुनील चौधरी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री विजय आसुदानी, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 7/6/17 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक वृत्त 2, तहसील सांवेर जिला इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–4–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा तहसीलदार, सांवेर जिला इंदौर के समक्ष उसके भूमिस्वामी स्वत्व की सर्वे कमांक 118/1/1 रकबा 0.

202, सर्वे कमांक 119/1/1 रकबा 0.193 हेक्टेयर एवं सर्वे कमांक 121/1 रकबा 0.037 हेक्टेयर के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । राजस्व निरीक्षक, वृत्त 2 तहसील सांवेर द्वारा प्रकरण कमांक 11/अ–12/2014–15 दर्ज कर प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन किया जाकर दिनांक 20–4–2015 को सीमांकन आदेश पारित किया गया । राजस्व निरीक्षक के इसी सीमांकन आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अनावेदक कमांक 1 की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र पर हाथ से दिनांक 6–2–15 लिखी गई है । उक्त आवेदन पत्र राजस्व निरीक्षक द्वारा कब प्राप्त किया गया, और किस तारीख को कार्यवाही प्रारंभ की गई, ऐसा आदेशिका में कोई उल्लेख नहीं है । राजस्व निरीक्षक द्वारा हल्का पटवारी को सीमांकन के आदेश दिये गये हैं, परन्तु दिनांक का उल्लेख नहीं है कि किस दिनांक को सीमांकन किया जायेगा ।

(2) आवेदकगण पड़ोसी कृषक होने के बावजूद भी उन्हें सीमांकन की कोई सूचना नहीं दी गई है, और किसी धर्मेन्द वर्मा पर नोटिस की तामीली दर्शायी गई है । यह धर्मेन्द्र वर्मा कौन है, उसकी क्या हैसियत है, इसका कोई उल्लेख प्रकरण में नहीं है ।

(3) इस प्रकरण में विचित्र स्थिति यह है कि राजस्व निरीक्षक के कार्यालय में सीमांकन आवेदन पत्र प्राप्त होता है, और वे पटवारी को सीमांकन के लिए आदेशित करते हैं एवं सीमांकन प्रतिवेदन तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, जबकि सीमांकन कार्यवाही के लिए वे स्वयं सक्षम हैं । इस प्रकार प्रकिया रहित सीमांकन किया जाना स्पष्ट परिलक्षित होता है ।

(4) सीमांकन में हितबद्ध व्यक्तियों को सूचना नहीं देने में प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों की अवहेलना की गई हे ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रकरण में पक्षकारों के कुसंयोजन का दोष है, क्योंकि सभी हितबद्ध व्यक्तियों को पक्षकार नहीं बनाया गया है । यह भी कहा गया कि आवेदकगण पड़ोसी कृषक नहीं हैं, इसलिए

उन्हें सूचना देने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि सीमांकन हेतु जारी सूचना पत्र आवेदकगण के पिता द्वारा प्राप्त किया गया है, और उनके द्वारा हस्ताक्षर किये गये हैं । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत वादग्रस्त सत्यप्रतिलिपि पर तारीख अंकित नहीं है, और यह निगरानी लगभग डेड़ वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत की गई है । उनके द्वारा निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । राजस्व निरीक्षक की आदेशिका में दिनांक 16–3–2015 अंकित है, जबकि इस न्यायालय में राजस्व निरीक्षक के आदेशिका की सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत की गई है, उसमें दिनांक अंकित नहीं है इससे स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा बाद में दिनांक अंकित की गई है, जो कि विधिसंगत कार्यवाही नहीं है । इसके अतिरिक्त सीमांकन के लिये जो सूचना पत्र जारी किये गये हैं, उनमें से अपर लेखन (ओव्हर राईटिंग) है । पंचनामा से भी कब्जे की स्थिति स्पष्ट नहीं है । स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा की गई सीमांकन कार्यवाही पूर्णतः अवैधानिक एवं अनियमित है और उसके आधार पर पारित सीमांकन आदेश भी वैधानिक एवं उचित नहीं है । अतः सीमांकन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर राजस्व निरीक्षक वृत्त 2, तहसील सांवेर जिला इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–4–2015 निरस्त किया जाता है और प्रकरण पुनः विधिवत् सीमांकन करने हेतु राजस्व निरीक्षक को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

यह आदेश प्रकरण कमांक निगरानी 2830–पीबीआर/16 किशनदास पिता भगवानदास आदि विरूद्ध सुनील पिता किशनचंद सिंधी आदि पर भी लागू होगा । अतः आदेश की एक प्रति उक्त निगरानी प्रकरण में संलग्न की जाये ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर